

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

शमकुमा कानि कीकाजी

बनाम

खरवा

किस्म मुकदमा

दुरुस्ती

मुकदमा नं.

127
7/6/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/280 दिनांक 7/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 785 में प्रार्थीगण के नाम चक 8PS की जमाबन्दी सम्बन्ध 2017-74 के खाता नं. 87 में खातेदार <u>शमकुमा - लेखराज पिं दुलाराज वोक दुलाराज कीकाजी वदिन जारिदर धनवतार</u> अंकित है। जिसका नाम <u>लेखराज</u> है। जिसकी <u>शमकुमा - लेखराज - पिं दुलाराज के लाल लेखराज</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 7/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 8PS के खाता नं. 87 में दर्ज खातेदार <u>शमकुमा - लेखराज पिं दुलाराज के लाल लेखराज</u> दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट 785
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर